भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 286

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

सामाजिक सुरक्षा संहिता में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को शामिल किया जाना

286. श्री संजय काका पाटीलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मातृत्व लाभ के उपबंध सर्वव्यापी नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मातृत्व लाभ वर्तमान में 10 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता में 'प्रतिष्ठान' की परिभाषा में असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है;

(घ) इस तथ्य के बावजूद कि भारत की अधिकांश जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, असंगठित क्षेत्र को परिभाषा में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस खामी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस) संसद द्वारा दिनांक 28.09.2020 को पारित किया गया है। यह संहिता अभी लागू नहीं हुआ है। इस संहिता में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 सहित विभिन्न मौजूदा सामाजिक सुरक्षा विधान समाहित किए गए हैं।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 किसी राज्य में, दुकानों और प्रतिष्ठान के संबंध में किसी भी कानून के अर्थ के भीतर हर दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन पर कार्यरत थे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 उन महिला कामगारों को प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करते हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन शामिल हैं, जिसे भी संहिता में समाहित किया गया है। यह ईएसआई योजना मौसमी कारखाने को छोड़कर प्रत्येक उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिनमें दस अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में अन्य बातों के साथ साथ पहले से ही असंगठित क्षेत्र के अधीन महिला कामगारों को स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ प्रदान करने हेतु प्रावधान हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 45 और धारा 109(1) में पहले से ही इन कामगारों के लिए स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ सहित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने के संबंध में प्रावधान हैं। यह किसी प्रतिष्ठान के स्वैच्छिक कवरेज का भी प्रावधान करता है जिससे कि वह कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम से करने में समर्थ हो सके।

*****